न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 2/2024

प्रार्थी :-

1. नोरतमल पुत्र बगदाराम जाति पटेल निवासी सांगावास तहसील जैतारण जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसील बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- प्रार्थीगण - श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता।
अप्रार्थी- सरकारी पैरोकार

निर्णय दिनांक :- 2/5/25

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिलाडा चक संख्या 1 तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1631/7 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा स्थित है। यह भूमि गोरधनलाल, रमेशचन्द्र पिसरान घीसाराम जातियान सुथार निवासीगण बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा की खातेदारी की थी। उपरोक्त खातेदारी भूमि में 2/3 वां हिस्सा गोरधनलाल का तथा 1/3 वां हिस्सा रमेशचन्द्र का है, खातेदार गोरधनलाल तथा रमेशचन्द्र ने अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1631/7 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा में से 0.0222 हैक्टेयर (2400 वर्गफुट यानि 2.75/294 वां हिस्सा) का कृषि भूखण्ड को दिनांक 18.10.2010 को जरिये रजिस्ट्री प्रार्थी को बेचान कर दिया एवं भूमि का कब्जा प्रार्थी को सौंप दिया। उक्त बैचाननामा दिनांक 18.10.2010 के आधार पर प्रार्थी के नाम से नामान्तरकरण संख्या 3695 दिनांक 30.10.2010 को स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में खातेदारी इन्द्राज कर दी गयी। जो जमाबंदी संवत् 2055 से 2058 वास्ते सबूत साथ में पेश है। प्रार्थी अभी दस दिन पहले अपनी खातेदारी भूमि का बैचान करने हेतु तहसील कार्यालय बिलाड़ा गया और अपने डीडराईटर को जमाबंदी की नकल व बैचाननामा दिनांक 18.10.2010 की नकल को बताया और कहा कि कृषि भूखण्ड का बैचान करना है तब डीडराईटर ने प्रार्थी को बताया कि आपने 2400 वर्गफुट लगभग 3 बिस्वा भूमि को खरीद किया है, लेकिन आपका जमाबंदी में 1 बिस्वा के करीब ही भूमि दर्ज है, और कहा कि आपका नाम जमाबंदी में नोरतमल पुत्र बगदाराम के बजाय नोरतनमल पुत्र बगदीराम दर्ज है, आपका हिस्सा व आपका नाम जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 में गलत अंकित होने के कारण रजिस्ट्री नहीं हो सकती है, आप पहले रेकर्ड में सुधार कराओ। यह सुनकर प्रार्थी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और तहसीलदार साहब से सम्पर्क किया तो तहसीलदार साहब ने जमाबंदी व रजिस्ट्री की नकल देखकर प्रार्थी को बताया कि बैचाननामा के अनुसार जमाबंदी संवत् 2055 से 2058 में आपका हिस्सा व नाम सही दर्ज किया हुआ है, लेकिन उसके आगे की जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 कम्प्यूटराईज्ड करते समय हल्का पटवारी द्वारा गलती से आपका हिस्सा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

व नाम गलत दर्ज कर दिया है और प्रार्थी को कहा कि आप न्यायालय में शुद्धि करवाओ तब आपका हिस्सा व नाम शुद्धि पुनः रेकर्ड में सही दर्ज कर दी जायेगी। प्रार्थी ने दिनांक 18.10.2010 के जरिये खातेदार गोरधनलाल, रमेशचन्द्र से भूमि खसरा नम्बर 1631/7 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा में से 2400 वर्गफुट 2.75/294 वां हिस्सा को खरीद किया है जो जमाबंदी संवत् 2055 से 2058 से साबित है लेकिन उसके बाद की जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 को देखने से मालूम पड़ता है कि उसमें पटवारी हल्का द्वारा बीना कोई आधार से 11/3444 वां हिस्सा गलत दर्ज किया है तथा नोरतमल पुत्र बगदाराम के बजाय नोरतनमल पुत्र बगदीराम नाम दर्ज कर दिया गया है, जो एक लिपीकीय त्रुटी है। राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन केवल म्यूटेशन के आधार पर ही किया जा सकता है एवं म्यूटेशन किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश से या वैचान हस्तान्तरण के आधार पर ग्राम पंचायत या तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है मौजूदा मामले में न तो राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन का किसी न्यायालय का कोई निर्णय या आदेश है तथा न कोई म्यूटेशन स्वीकृत किया गया है। अतः पटवारी द्वारा बीना आधार एवं अनाधिकृत तौर से रेकर्ड से हिस्सा कम दर्ज करने में भूल की गयी है, जिसे पुनः खातेदार रेकर्ड में सही हिस्सा व नाम दर्ज कराने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 1 तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 1631/7 रकबा 2.3218 हैक्टेयर की जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 की दुरूस्ती की जाकर उपरोक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि 0.0222 हैक्टेयर (2.75/294 वां हिस्सा) को दर्ज करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे। तथा नोरतनमल पुत्र बगदीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) के स्थान पर नोरतमल पुत्र बगदाराम जाति पटेल का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी को सम्मन बाद तामिल पेश हुए। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिलाडा चक नं. 1 के खसरा नंबर 1631/7 रकबा 14-14 बीघा में 2/3 हि. गोरधनलाल का व 1/3 वां हिस्सा रमेशचन्द का है। गोरधनलाल व रमेशचन्द्र द्वारा अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1631/7 रकबा 14-14 बीघा में से 0.0222 हैक्टयर(2400 वर्गफीट यानि 2.75/294 वां हिस्सा) का कृषि भूखण्ड दिनांक 18.10.2010 को जरिये रजि0बैचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। उक्त बैचाननामा का नामा. सं. 3695 भरा जाकर स्वीकृत हुआ है। जिसमें प्रार्थी के नाम नोरतनलाल पुत्र बगदाराम जाति पटेल 2.75/294(2400 व.फी.) हिस्सा दर्ज हुआ था। ऑनलाईन जमाबंदी तैयार करते समय प्रार्थी का नाम व हिस्सा दोनों गलत दर्ज हो गये। जरिये शु.प.स. 47 दिनांक 20.07.2024 द्वारा प्रार्थी का हिस्सा जमाबंदी में शुद्ध कर दिया गया है, लेकिन नाम भी शुद्धि नहीं हुई है। प्रार्थी अपना नाम नोरतनमल के स्थान पर नोरतमल करवाना चाहता है।

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम बिलाडा चक नं. 1 के खसरा नंबर 1631/7 रकबा 2.3218 हैक्टयर प्रार्थी की खरीदसुदा भूमि 0.0222 हैक्टयर(2.75/294) वां हिस्सा में दर्ज अशुद्ध प्रविष्टि नोरतनमल पुत्र बगदीराम के स्थान पर नोरतमल पुत्र बगदाराम की दुरूस्ती किये जाने में भूमिधारी सहमत है। पटेल जाति नहीं है। पटेल के स्थान पर कुमावत किया जाना उचित है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरूस्ती का निवेदन किया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यों को दोहराया और दुरूस्ती किये जाने पर सहमति जाहिर की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के फार्म नं. 3 के साथ बैचाननामा, जमाबंदी संवत् 2055–2058 व जमाबंदी संवत् 2075–2078 खसरा नंबर 1631/7 संलग्न है प्रार्थी ने अपना स्वयं का ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रतीत हो कि प्रार्थी का नाम नोरतनमल पुत्र बगदीराम नहीं होकर नोरतमल पुत्र बगदाराम है। प्रार्थी द्वारा अपने नाम के साक्ष्य में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने से प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

:– आदेश :–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम दस्तावेज के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 21/04/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा